जिला निर्वाचन कार्यालय
फोन न० 0612—2203725
E-mail-dyeo_patna@yahoo.co.in

पटना समाहरणालय, पटना
(जिला निर्वाचन शाखा)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
फोन न० 0612—2219097(आ०)
0612—2219545(का०)
फैक्स न०—0612—2218900
E-mail- dm-patna.bih@nic.in

फोटोयुक्त मतदाता सूची एवम् मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) निर्माण आदि हेतु इच्छुक निविदादाताओं के लिए तकनीकी एवं वित्तीय निविदा की शर्तें।

अल्पकालीन निविदा सूचना

पटना जिला के सभी 14 (चौदह) विधानसभा क्षेत्रों के लिए ERONET में फोटोयुक्त मतदाता सूची का पुनरीक्षण/संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं सतत् अद्यतीकरण कराये जाने, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत नये विस्तृत दिशा—निर्देश के आलोक में रंगीन मतदाता फोटो पहचान पत्र (Colour EPIC) का निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019—20 एवं 2020—21 के लिए दर निर्धारण हेतु अनुभवी एवं योग्य इच्छुक फर्मो से द्विलिफाफा पद्धति में मुहरबन्द निविदा दिनांक **26/08/2019 (सोमवार)** के अपराह्न 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा के सम्बंध में विहित प्रपत्र एवं विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाईट www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है या किसी भी कार्य दिवस को जिला निर्वाचन कार्यालय से कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता हैं। सभी कार्यो के लिए निविदादाता को जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में हीं दर देना होगा, अन्यथा निविदा अमान्य हो जाएगा। निविदा जमा करने की तिथि से एक दिन पूर्व तक ही कार्यालय अवधि में जिला निर्वाचन कार्यालय से निविदा से संबंधित विहित प्रपत्र ₹ 1000/— (एक हजार रूपये) शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा निर्धारित तिथि/समय तक जिला निर्वाचन कार्यालय, पटना में दिया जा सकता है एवं प्राप्त निविदाओं को उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा। क्रय समिति के समक्ष निविदादाता स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रह सकते है।

(क) निविदा की सामान्य शर्ते :—

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का लिफाफा अलग—अलग होना आवश्यक है। कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र (Annexure-I & Annexure –II) में ही दिया गया निविदा मान्य होगा।
2. बगैर कोई कारण बताए निविदा रद्द करने, संशोधित करने एवं किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
3. सभी कार्य ERONET पर Online के माध्यम से किया जाएगा।
4. फोटो निर्वाचक सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) निर्माण का कार्य अन्योनाश्रित होने के कारण कार्यहित में दोनों कार्यों के लिए एक ही एजेंसी का चयन किया जाएगा। बिहार के अनुभवी एजेंसी को प्राथमिकता दी जाएगी।
5. निविदादाता यदि Limited/Private Limited Company है, तो उसे Company Act 1956/2013 अंतर्गत निबंधित होना चाहिए। वैसे निविदादाता जो Proprietorship or Partnership Firm के रूप में निबंधित है, निविदा के लिए मान्य है, जबकि निविदादाता का Consortium होना मान्य नहीं होगा।
6. चयनित फर्म को भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पटना के द्वारा निर्धारित शर्त्तों/निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।
7. निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजात निविदा जमा करते वक्त संलग्न रहना चाहिए। बाद में कागजात जमा करने के संबंध में किसी प्रकार का अनुरोध मान्य नहीं होगा।

(ख) तकनीकी निविदा की शर्तें :—

1. निविदादाता फर्म को बिहार Shop & Establishment Act एवं लघु उद्योग के अंतर्गत कम से कम पाँच वर्ष पूर्व से निबंधित होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

2. निविदादाता फर्म को वस्तु एवं सेवा कर (GST) का निबंधन प्रमाण पत्र अद्यतन रिटर्न के साथ विगत वर्ष (2018—19) में कम से कम पच्चीस लाख रूपये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रूप में जमा करने का साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3. निविदादाता फर्म का कार्यालय बिहार में होना अनिवार्य है, जिसका स्वामित्व प्रमाण—पत्र / किराया की स्थिति में मकान मालिक से अनुबंध की प्रति या किराया प्राप्ति रसीद का प्रति संलग्न करना होगा।

4. निविदादाता फर्म को ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5. फर्म की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो इस हेतु फर्म को आयकर संख्या (PAN No.) के साथ विगत तीन वित्तीय वर्षों (2015—16, 2016—17, 2017—18) का आयकर रिटर्न, Audit and Balance Sheet के साथ प्रति वर्ष पाँच करोड़ का Turn Over एवं अंतिम वित्तीय वर्ष तक एक करोड़ का Net worth का Audited Report संलग्न करना होगा।

6. निविदादाता फर्म को EPFO (Employees Provident Fund Organisation) एवं ESIC (Employees State Insurance Corporation) के अन्तर्गत तीन वर्ष पूर्व से निबंधित होना अनिवार्य है। साथ ही इस कार्य हेतु कम से कम 20 सक्षम तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता संबंधी पूर्ण विवरणी, नाम योग्यता अनुभव के साथ देना होगा। इस हेतु विगत एक वर्ष का EPFO एवं ESIC के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों का Pay roll से संबंधित चालान का प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7. निविदा के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी—सह—जिला पदाधिकारी, पटना के पक्ष में ₹ 2,00,000.00 (दो लाख रुपये) मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा।

8. निविदादाता फर्म को बिहार राज्य अंतर्गत ERONET / ERMS के माध्यम से तीन वित्तीय वर्षों (यथा — वित्तीय वर्ष 2016—17, 2017—18, 2018—19) में प्रतिवर्ष कम से कम 20 विधान सभा क्षेत्रों का फोटोयुक्त मतदाता सूची (PER) एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) निर्माण कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव हेतु विधान सभा क्षेत्रों से अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

9. निविदादाता फर्म को कम से कम दो लाख PVC Colour EPIC Card बनाने का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव हेतु जिला द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र का प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। Sub Contract के अधीन किया गया कार्य अनुभव की श्रेणी में मान्य नहीं होगा।

10. निविदादाता फर्म के पास फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं मतदाता पहचान पत्र निर्माण हेतु आधारभूत संरचना यथा— कम से कम 50 कम्प्यूटर / लैपटॉप, 2 जेनरेटर, आवश्यकतानुसार यू0पी0एस0, उच्च कोटि एवं हाई स्पीड का 15 प्रिन्टर्स, 5 लेमिनेशन मशीन, 10 PVC Colour Card Printer आदि की उपलब्धता से संबंधित स्वामित्व प्रमाण—पत्र देना होगा तथा उनकी संख्या सहित पूर्ण विवरणी भी देना होगा। उपलब्ध दिखाए गए संसाधन की समीक्षा / भौतिक सत्यापन के उपरांत ही फर्म को कार्यादेश देने पर विचार किया जाएगा।

11. आवंटित कार्य के Sub Contracting की अनुमति किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। इस आशय का Under Taking तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा। कार्य